भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1274

दिनांक 03 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए
कॉफी बोर्ड कारोड मैप

1274. श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2023-24 के लिए कुल कॉफ़ी और वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) अगले दस वर्षों के लिए कॉफी के विकास के लिए कॉफी बोर्ड के रोड मैप का ब्यौरा क्या है:

(ग) क्या कॉफी की फसल वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, एसएआरएफएईएसआई अधिनियम के अंतर्गत आतीहै; और

(घ)क्या सरकार कॉफी उत्पादकों के हित में कॉफी के साथ चिकोरी का तीस प्रतिशत मिश्रण करने के लिए विनियमन ला रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री</u>
(श्री पीयूष गोयल)

(क): वर्ष 2023-24 के लिए कॉफी उत्पादन 3,60,500 टन था और वर्ष 2024-25 के लिए कॉफी उत्पादन (अनंतिम) 3,63,300 टन होने का अनुमान हैं।

(ख): कॉफी बोर्ड देश में कॉफी क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए एकीकृत कॉफी विकास परियोजना (आईसीडीपी) योजना लागू कर रहा है। इस योजना के तहत की जाने वाली गतिविधियों में,अन्य बातों के साथ-साथ, देश में उत्पादित कॉफी के उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए पुनः रोपण, गुणवत्ता उन्नयन, जल संवर्धन, क्षेत्र विस्तार और समेकन शामिल हैं। इस योजना के तहत, कॉफी बोर्ड अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय कॉफी को बढ़ावा देता है और उच्च मूल्य और मूल्य वर्धित कॉफी निर्यात बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करता है।

(ग): जी नहीं ।

(घ): भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियमन,2011 के विनियमन 2.10.4 के तहत "कॉफी-चिकोरी मिश्रण" के लिए मानक निर्धारित किए हैं।मानकों के अनुसार, मिश्रण में कॉफी की मात्रा परिमाण के हिसाब से 51 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।

*****